20.04.23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष की प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम 1955 पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख.न. 204 रकबा 4.2229 हैक्टेयर स्थित है। उक्त ख.न. की भूमि की पत्थरगढ़ी के संबंध मे धारा-111,128 भू राजस्व अधिनियम के तहत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:22 IST
Reason: SelfAttested

From no III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

........मूलसिंह........ बनाम ....राज्य सरकार....

नंबर ....82 वर्ष 2022

किस्म मुकदमा :- 212 R.T.Act

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | माननीय न्यायालय से 05.3.24 को पत्थरगढ़ी के आदेश हो रखे है। जिसमें माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के आदेश की पालना नहीं हो सकी है। प्रार्थी की निजी खातेदारी की भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है अतः प्रार्थी को अप्रार्थी के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी में मूल वाद के निस्तारण तक पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थी संख्या-01 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ख.न. 204 मूलसिंह पुत्र मालासिंह राजपूत के नाम खातेदारी में दर्ज है। भू-राजस्व टीम ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 24.3.24 की पालना में दिनांक 06.5.22 को प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करवा दी गयी। जिस पर प्रार्थी ने असंतुष्टि व्यक्त की। प्रार्थी जबरन सरकारी भूमि पर कब्जा करने हेतु आमादा है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को निरस्त फरमाया जावे।<br>हमने उभय पक्ष की बहस श्रवण किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया। उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं बहस | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाँक 28.04.2023 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

28.4.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:50:22 IST
Reason: SelfAttested